Title: Discussion regarding Indira Awaas Yojana.

MR. CHAIRMAN : We will now take up the Half-an-Hour Discussion.

SHRI G.M. BANATWALLA (PONNANI): What about the Bill?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): We will take it up after the Half-an-Hour discussion.

श्री शिवराज सिंह चौहान (विदिशा) : सभापति महोदय, रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य के जीवन के लिए बुनियादी आवश्कताएं हैं। रोटी और कपड़ा जैसे-तैसे मनुष्य जुटा लेता है लेकिन जिस देश में 33 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीते हों, उनके लिए मकान केवल एक सपना है। इस सपने को इन्दिरा आवास योजना ने साकार किया। योजना बहुत अच्छी है लेकिन योजना का क्रियान्वयन बहुत बुरा है। भयंकर भ्रटाचार के कारण यह योजना अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही है। इस योजना में भ्रटाचार हितग्राही के चयन से ही प्रारम्भ हो जाता है। कहा जाता है कि ग्राम सभाएं हितग्राही का चयन करती हैं। ग्राम सभा एक तरह से सरपंच सभा होती है। वे गरीब लोग जो सरपंच गुट में नहीं होते, उनका हितग्राही गुट में चुनाव नहीं होता। एक पंचायत में एक या दो आवास कुटीर मिलते हैं। उन आवास कुटीरों के लिए सरपंच 15-20--25 और कई बार 40-50 नाम ब्लॉक में भेज देते हैं। यहीं से भ्रटाचार प्रारम्भ होता है। ब्लॉक के अधिकारी उन हितग्राहियों का चयन करते हैं। जो राशि देता है उसका नाम उसमें आता है। पहली किश्त तो दस हजार रुपए की मिलती है उसके चार-पांच हजार रुपए वसूल कर लिए जाते हैं। जो ज्यादा पैसा देता है, उसका पहले चुनाव होता है। पैसा नहीं तो चयन नहीं, यह स्थिति बनती है। वे जब दूसरी किश्त लेने जाते हैं तब पैसे मांगे जाते हैं। मैं इस बात की अच्छी तरह से जानता हूं कि ऐसे कई हितग्राही हैं जिन को दूसरी किश्त दो-दो साल से नहीं मिली। हमने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि मकान का काम पूरा नहीं हुआ। बाद में हितग्राही उनके पास जाता है तो वह कहते हैं कि नेताओं या किसी दूसरे के पास जाइए। जब तक पैसा नहीं तब तक दूसरी किश्त नहीं। इस भयंकर भ्रटाचार के कारण योजना अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1985-86 से 1998-99 तक 53 लाख मकान पूरे भारत में इस योजना के तहत बनाए गए। मैं दावे से कहता हूं कि आप इनकी गिनती करवा लें। 53 लाख मकानों में से आधे बने हुए नहीं मिलेंगे। मैं मध्यप्रदेश के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं।

मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण देकर बता सकता हूं, आप विदिशा जिले की जांच करवा लें, सिहोर जिला के खित्वाई, मछवाई और बुदनी ब्लाक के गादर, खट्टपुरा जैसे गांवों की जांच करवा लें तो मालूम होगा कि वहां आवास कुटीर के लिये पैसा दिया गया है लेकिन आवास कुटीर जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देते। कागज़ों पर जरूर बन गये। कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि ब्लाक के ब्लाक आवास कुटीर बना दिये गये, नये मकान बना दिये गये लेकिन पहले दिन ही वे सारे के सारे गिर गये। इसलिये वहां रहने के लिये कोई हितग्राही नहीं गया। वहां पैसा पूरा लग गया। जब हितग्राही से पूछा गया कि क्यों नहीं गये तो बताया गया कि मकान तो मिलेगा नहीं, जान से भी जायेंगे, अगर रहने चले गये। आपके पास आंकड़े आ गये होंगे कि कितने आवास कुटीर बने हैं लेकिन उनमें रहने के लिये कोई नहीं गया। इसमें किसने पैसा खाया, कितना खाया, अपराधी कौन है, इस सब की जांच कौन करेगा? मैं बालाघाट जिले की बात बताता हूं कि वहां चार-चार साल से पैसा गया हुआ है लेकिन फंड्स कहीं और डाय्वर्ट कर दिये गये हैं और हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला। अधिकारियो ने कहां खर्च कर दिया, इससे सरपंच और हितग्राही दोनों परेशान हैं।

सभापति महोदय, अभी ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से एक प्रावधान किया गया है कि 20 प्रतिशत राशि इस योजना के अंतर्गत कच्चे मकानों को पक्का करने के लिये खर्च की जायेगी। मेरा कहना यह है कि जब पूरी की पूरी राशि मकान बनाने के लिये दी गई, उससे मकान बना नहीं, तो कच्चा मकान किस प्रकार पक्का बनेगा, इसमें मुझे संदेह है। मजदूरों के नाम पर मालिकों ने पैसा अपने मकानों पर लगा दिया लेकिन उन गरीबों को आवास के नाम पर कुछ नहीं मिला। इसी प्रकार ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन्स दी गई हैं कि धुंआरहित चूल्हे और स्वच्छ शौचालय मकान के साथ बनाये जायेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मकान हीं नहीं बनेगा तो धुंआरहित चूल्हा और स्वच्छा शौचालय कहां से बनेगा? मध्य प्रदेश सरकार ने अधो-संरचना में गाइडलाइन्स दी हैं जिसमें यह कहा गया है कि हितग्राही को राशि दी जायेगी लेकिन जब आवास कुटीर के लिये राशि नहीं मिलती तो अधो-संरचना की राशि अधिकारियों की जेब में चली जायेगी। क्योंकि कार्यान्वयन के स्तर पर बहुत भारी भ्टाचार है, इसलिये यह योजना मध्य प्रदेश में बुरी तरह से फेल हो गई है। आज की महंगाई के जमाने में 20 हजार की राशि से आवास कुटीर बन जाये, इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती। जो पैसा मिलता है, वह पानी में चला जाता है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि वे राज्यों या जिलों को किस आधार पर पैसे का आबंटन करते हैं- जनसंख्या के आधार पर या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के आधार पर? मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य है। पंचायत एक या दो साल में दो आवास कुटीर देती है जिन गरीब लोगों के पास मकान नहीं, वे आवास कुटीर चाहते हैं। उनकी आवश्यकता कब पूरी होगी, इसका अनुमान आप सहज ही लगा सकते हैं। यद्यपि यह योजना अच्छी है लेकिन इस योजना में मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। केन्द्र या राज्य सरकारों के पास आंकड़ें आ जाते होंगे जो बता देते होंगे कि आवास कुटीर जमीन पर बनते हैं या नहीं? इसलिये सबसे प्रमुख बात और तथ्य यह है कि हितग्राहियों का चयन ठीक और निपक्ष हो। जो पैसा हितग्राहियो के नाम जाये, उसका खर्च करना सुनिश्चित किया जाये और उसी के लिये आवास बने। दूसरी बात यह है कि उसकी मानिटरिंग ठीक ढंग से करने की व्यवस्था की जाये। अब तक जितने आवास कुटीर बने हैं, उनकी समीक्षा की जाये और जांच की जाये कि वास्तव में कितने आवास बने और जो नहीं बने तो क्यों नहीं बने? इसके लिये जो अपराधी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

सभापति महोदय, इस योजना में सांसद का कोई रोल नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में जिला सरकारें हैं। जिला परिद् की बैठकें तब बुलाते हैं जब प्रभारी मंत्री जिले में आते हैं। आवास का 30 प्रतिशत भाग जिले पर छोड़ दिया जाये वरना मंत्री "अंधा बांटे रेवड़ियां, फिर-फिर अपने को दे" वाला किस्सा चरितार्थ हो जाता है और सांसद का उसमें कोई रोल नहीं रहता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जमीन से जुड़े हुये हैं, वे जमीन की वास्तविकताओं को जानते हैं, इस योजना के चयन में मानिटरिंग की व्यवस्था करें। प्रदेश या जिला स्तर पर मानिटरिंग की जो समिति बने, उसका अध्यक्ष कम से कम सांसद को बना दें ताकि उस योजना में सांसद की सहभागिता हो सके। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित करवा सके ताकि सही हितग्राही को लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, मैं उपरोक्त मुद्दे आज के आधे घंटे की चर्चा में उठाना चाहता था। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी कम से कम मानिटरिंग के मामले में इस सदन को आश्वस्त करेंगे और इसी समय इसकी घोणा करेंगे। धन्यवाद।

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): Madam Chairperson, *Indira Awaas Yojana* is primarily meant for the weaker sections' house building. Whether this is being focussed in the various States is doubtful. Many of the States are not properly utilising the *Indira Awaas Yojana* funds because they have been given to the *Zila Parishads* through DRDA. Both DRDA and the *Zila Parishad* have not been monitoring the allotment procedure. Sixty per cent of the houses under *Indira Awaas Yojana* are being provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the balance forty per cent of these houses are being allotted to the people belonging to other categories under BPL. But when it comes to actual allotment, this sixty per cent is not being properly followed for Scheduled Castes and

Scheduled Tribes. In many areas, these houses are being diverted to other categories. The mute, the voiceless people are keeping quiet because they are innocent. So, there should be a proper monitoring policy. There should be a system to see that whatever benefits are being created under IAY, should reach the beneficiaries for whom they are intended.

MR. CHAIRMAN : Shri Murthi, you are supposed to ask a question, not to make a speech.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : Unless I tell something about the subject, how can I ask the question, Madam?

The other thing that I would like to point out is that 80 per cent of the funds are being given by the Union Government and 20 per cent are being given by the State Government.

SHRI SUNDAR LAL PATWA: Now it is 75:25.

SHRI M.V.V.S. MURTHI : In the brief, it is mentioned as 80:20. Maybe, it is 75:25.

Last year, approximately Rs.1,600 crore were allotted. So, if the balance 25 per cent also is given by the Central Government, the procedure for constructing the houses will become much easier.

Again, it is Rs.20,000 for the plain areas and Rs.22,000 for the hill areas. That is also very insufficient. It should be increased to at least Rs.30,000 for the plain areas and Rs.35,000 for the hill areas. I would like to know from the Minister whether he is really contemplating to create houses for the poorer sections, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. If so, then he should provide Rs.30,000 and not Rs.20,000 for the plain areas. They are not able to build the houses with the money that is being given to them. Also, they are not getting proper treatment because of the system not being monitored properly. So, I would like to know from the hon. Minister for Rural Development whether he is intending, as he promised in this House, to have an effective monitoring policy for setting up Monitoring Committees in each constituency to be Chaired by the Members of Parliament, for construction and allotment of these houses.

There is also a rule that it should be written prominently on these houses that they have been built under *Indira Awaas Yojana.* I have a doubt whether any hon. Member has noticed such a thing written on these houses.

MR. CHAIRMAN: Shri Murthi, you please ask the question. There are three more Members to ask their questions....(*Interruptions*)

SHRI M.V.V.S. MURTHI : If they allow me, then only I shall ask. Otherwise, how can I ask? They are unnecessarily interfering.

So, that is also a conditionality while allotting these houses, but this is not being written prominently. Therefore, I would request the hon. Minister to make this rule to be followed rigidly and also form Monitoring Committees headed by the Members of Parliament as Chairmen, to monitor these houses so that these houses could be effectively provided to the weaker sections of the society. Thank you very much.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : माननीय सभापति महोदया, यह प्रश्न जिस पर हम आज आधे घंटे की चर्चा कर रहे हैं, दरसल इंदिरा आवास योजना और उससे जुड़ी हुई विसंगतियों को लेकर है। महोदया, आपको याद होगा कि कमजोर तबके के लोगों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं पिछले वर्षों में बनाई गईं और उन योजनाओं को इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से राज्य सरकारों को हमने दी। राज्य सरकारें उन योजनाओं के तहत जो भी आबंटन उन्हें प्राप्त होता था, उस आबंटन को जिला स्तर और विकास खंड स्तर को भेज देते हैं और फिर पंचायत और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनकी इम्पलीमेंटेशन का काम शुरू होता है।

सभापति महोदया, मैं यहां कोई राजनीति नहीं करना चाहता मगर सच्चाई यह है कि हम यदि अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, तो वास्तविकता सामने आ जाएगी। मैं सारे माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, चाहे वह मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या इस देश के किसी भी प्रदेश की बात हो, अपवाद स्वरूप ही कोई प्रदेश ऐसा होगा, जिसने अच्छे तरीके से ये योजनाएं लागू कर ली हों, उसकी बात अलग है, वरना सामान्य तौर पर सारे प्रदेशों की स्थिति और दुर्दशा 19-20 के फर्क के साथ वही है।

सभापति महोदया, महिलाओं के लिए कर्मशालाएं बनीं, लोगों के लिए कार्यशालाएं बनीं, वर्कशाप्स खोले गए, उनमें सब जगह देख लीजिए जानवर घुसे मिलेंगे, एक भी महिला किसी भी वर्कशाप में नहीं मिलेगी। जवाहर रोजगार योजना के इम्पलीमेंटेशन का काम भी हो रहा है, परन्तु उसके अंदर जिस कद्र भ्रटाचार है उसके बारे में मंत्री महोदय आप स्वयं जानते हैं। यहां पर उसके बारे में भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है। सुनिश्चित रोजगार योजना हो या राजीव गांधी जल संग्रहण क्षेत्र विकास योजनाएं हों - इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सबकी यही स्थिति है।

सभापति महोदया, प्रमुख रूप से मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में कहना चाहता हूं जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहली सीढ़ी, जो इसकी शुरूआत होती है वह, जैसा हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा, हितग्राही के चयन में होती है, सबसे पहले घपला वहीं से शुरू होता है।

स्भापति महोद्य : कृप्या स्वाल पूछिंए

श्री सत्य्व्रत चतुर्वेदी : स्भापति महोद्या, मैं स्वाल ही पूछ रहा हूं।

स्भापति महोद्य : आपने पहले नाम नहीं दि्या है, लेकिन as a special measure, I am allowing. There have been no names given in this.

श्री सत्य्व्रत चतुर्वेदी : स्भापति महोद्या, आपने उ्स दिन देखा होगा, हम लोगों ने हाफ-एन आ्वर का नोट्स दि्या था और डिमांड की थी।

स्भापति महोद्य : आपने डिमांड की होगी, लेकिन आपने एड्वां्स नोट्स नहीं दि्या है कि आप इ्स पर बोलेंगे। आपने अपना नाम नहीं दि्या है। फिर भी मैं एज ए स्पे्शल मैज़र्स आपको बोलने का अ्वसर दे रही हूं।

श्री सत्य्व्रत चतुर्वेदी : आपने मेरे ऊ्पर कृपा की है कि मुझे बोलने का अ्वसर दि्या है। इ्सके लिए मैं आपका आ्भारी हूं।

स्भापति महोद्य : इ्सीलिए आप्से नि्वेदन है कि आप जल्दी प्र्श्न पूछिए क्योंकि इ्से छ: बजे तक समाप्त करना है।

श्री सत्य्व्रत चतुर्वेदी : उनके च्यन में स्ब्से पहले गड्ब्ड़ी होती है क्योंकि ग्राम का सरपंच होता इ्स बात को देखता है कि उ्सके पक्ष का आदमी कौन सा है। जो उ्सके पक्ष का आदमी है वही उ्से वा्स्त्विक हितग्राही नजर आएगा - चाहे वह वा्स्त्विक हितग्राही हो या नहीं। इ्स प्रकार जो वा्स्त्विक हितग्राही होते हैं वे छूट जाते हैं। अत: स्ब्से पहले च्यन से ही गड्ब्ड़ी शु्रू होती है।

स्भापति महोद्या, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोद्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप इ्स योजना में जमीन कितनी दे रहे हैं और कि्से दे रहे हैं, इ्स बात का भी ध्यान रखिए। आप कि्सान को मकान बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं। कि्सान जब अपना मकान बनाता है, तो उ्से अपने जान्वरों को बांधने के लिए भी जगह चाहिए, जान्वरों को खिलाने हेतु घास रखने के लिए भी जगह चाहिए - क्या उ्सका भी प्रावधान आपने कि्या है - नहीं, क्योंकि आप उ्से केवल 30 X 30 फीट जगह दे रहे हैं। इतनी जगह में वह मकान भी बना लेगा, अपने जान्वर भी बांध लेगा और जान्वरों के चरने का चारा भी रख लेगा?

स्भापति महोद्या, मैं प्र्श्न ही कर रहा हूं। इ्सी प्रकार से जहां पे्यजल की व्य्वस्था न हो, जहां बिजली की व्य्वस्था न हो, जहां स्कूल की व्य्वस्था न हो वहां लोग कै्से रहेंगे और इंदिरा आ्वास योजना के तहत बनी ब्स्ति्यां गां्वों से बहुत दूर होती हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूं। मेरे क्षेत्र के निकट ही उत्तर प्रदे्श की भी अनेक इ्स प्रकार की ब्स्ति्यां लगती हैं जहां से मैं रोजाना निकलता हूं। मैं उन्हें देखता हूं कि वे बिलकुल खाली प्ड़ी हुई हैं। वहां जान्वर भी नहीं रहते हैं, इंसान की तो बात दूर रही। इ्स योजना का सारे का सारा पै्सा नीचे के लै्वल पर, ब्लाक लै्वल के अधिकारि्यों और पंचा्यत लै्वल पर सचि्व आदि जो बैठे हुए हैं, हम लोग भी उ्समें शामिल हैं, सारे का सारा पै्सा ब्र्बाद हो रहा है। हम लोगों ने देखा है कि कि्स प्रकार से दुर्द्शा हो रही है। अन्तत: जो हितग्राही होना चाहिए, वह बेचारा डिप्राइ्व है।

स्भापति महोद्या, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं और माननी्य मंत्री महोद्य से पूछना चाहता हूं कि इ्स सारी दुर्द्शा को देखते हुए क्या यह बहुत आ्व्श्यक नहीं है कि वि्भिन्न सां्सदों को, अपने-अपने क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाली ऐसी तमाम योजनाएं, जो केन्द्री्य सरकार द्वारा प्रा्योजित और प्रस्ताि्वत हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा स्पों्सर हैं, केन्द्र सरकार जिनके लिए धनरा्शि देती है क्या यह बिलकुल स्वा्भावि्क और सहज नहीं है कि सां्सदों को इ्स बात का अधिकार मिले कि वे उन योजनाओं की मानिटरिंग कर सकें, उन योजनाओं का निरीक्षण कर सकें, उन योजनाओं में उनकी भूमिका हो जि्स्से यह सुनि्श्चित हो सके कि केन्द्र सरकार के पै्से का दुरुप्योग न होगा, उ्सका सदुप्योग होगा और जि्स व्यक्ति के लिए वे बनी है, उ्स व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंच सके। अगर आप ऐसा मानते हैं, तो ऐसी व्य्वस्था क्यों नहीं करते? मुझे मालूम है कि इ्सी प्रकार का प्र्श्न जब पिछले दिनों सदन में पूछा गया, तो आपने कह दि्या कि यह राज्य सरकारों का मामला है, यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, केन्द्र उ्समें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

ये सारी सीमा्यें अपनी जगह हैं। लेकिन जब केन्द्र पै्सा देता है, राज्यों को सं्साधन जुटाता है तो क्या आप ऐसी कोई व्य्वस्था करने जा रहे हैं जि्स्से केन्द्र का निरीक्षण करने का, सुपरवि्जन करने का, नि्यंत्रण करने का अधिकार का्यम रहे और पै्से का दुरुप्योग रोका जा सके। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri Bhartruhari Mahtab.

Under the rules, the names are supposed to come in advance. As a special measure, I am calling some of the names which have come in writing.

...(*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ स्िंह (महाराजगंज, बि्हार) : हमने पहले नाम भेजा था। हो सकता है कि डाकखाने में कहीं डाक गड्ब्ड़ा गई हो।

स्भापति महोद्य : मेरे पास जो लि्स्ट है, उ्समें आपका नाम नहीं है। आपने अपना नाम कि्सके पास भेजा है ?

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : वहां पर समूचे पै्से को लूट लि्या जाता है। समूचे पै्से का दुरुप्योग होता है। â€¦(व्यवधान) आप इन्हें दो मिनट बोलने दीजिए। â€¦(व्यवधान)

स्भापति महोद्य : आप फुल डि्सक्शन में बात करि्ये। लि्स्ट में जिन चार लोगों के नाम हैं, मैं उन्हीं को बुला सकती हूं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Under the rules, only four people can raise questions. I cannot change the rules.

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): From each party, one Member should be allowed to speak on this subject which is very important. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Then, you can have a full discussion and not a half-an-hour discussion.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I would draw the attention of the Minister to the housing problem of our country. ...(*Interruptions*) The last census was held in 1991 whereby the housing shortage in rural areas was of 13.72 million, consisting of 3.41 million households who were without houses and 10.31 million people who were living in unserviceable *kuchcha* houses. This was the position in 1991. I would like the Minister to apprise us of how much he has achieved during the last nine or ten years.

Indira Awas Yojana was started in 1985-86. Initially, it was demarcated only for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the freed bonded labourers. Later on, in 1991-92, it was expanded and people living below the poverty line were included. After the severe super-cyclone in Orissa, it was again expanded to include people who had been affected by the super-cyclone. The hon. Minister himself and many others from the Central Government were kind enough to visit our Capital Bhubaneswar and also other places which were affected by the super-cyclone. Around 2.5 lakh houses have been sanctioned for Orissa under *Indira Awas Yojana*, but the basic problem which we are facing in our State is that the cost of building a house has gone up. The cost of cement has gone up. The cost of the brick has gone up. The cost of sand has gone up. The cost of a mason has gone up. But the money which is sanctioned under *Indira Awas Yojana* is the same. I would like to know from the Minister whether he is considering to enhance the amount of Rs. 20,000 or Rs. 22,000 which is sanctioned under this scheme on 80:20 basis.

Sir, more than 19 lakh families have been affected by the cyclone and more than 10 lakh people are supposed to get houses under *Indira Awas Yojana*, but only 2.5 lakh have been sanctioned. I would like to know from the hon. Minister what more he is going to do for the affected people, especially those who were affected in the super-cyclone.

I would also like to inform him that this caters only to 14 districts of Orissa which were affected by the cyclone. There are 16 more districts where a large number of people are there who live below the poverty line.

सभापति महोदय : इन्होंने नाम भेजा था। अब आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि भारत सरकार की नीयत है कि इस देश के गांवों में रहने वाले कमजोर और विकलांग लोगों के लिए, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, अपनी व्यवस्था से आवास नहीं बनवा सकते, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था हो और उसी के तहत भारत सराकर राज्यों को निधि का आबंटन करती है और राज्य सरकार काम कराने की एजेंसी होती है, उसके पदाधिकारी होते हैं। केन्द्र सरकार ने इसमें गाइडलाइन भी दी है। केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का राज्यों में पालन नहीं किया जाता। मध्य प्रदेश के साथी चर्चा कर रहे थे। वहां पंचायत के चुनाव हुए हैं, वहां सरपंच या मुखिया होंगे। हमारे यहां 22 सालों से पंचायत के चुनाव नहीं हुए। आप ही के मित्र की पार्टी की सरकार चल रही है। आपने ग्राम सभा के माध्यम से नामों के चयन करने का जो निर्देश दिया है, मंत्री जी आप आश्चर्य करेंगे, हमारे यहां कोई ग्राम सभा ही नहीं होती। ब्लॉक का बी.डी.ओ. सेवक के माध्यम से बैठ कर गांवों के 1000-2500 नामों की लिस्ट बना लेता है। इसके बाद बताता है कि आपका नाम लिस्ट में आ गया। गांव वाले बी.डी.ओ. के यहां दौड़ने लग जाते हैं और बिचौलिया एक यूनिट पर 5,000 रुपये, आपका प्राक्कलन बहुत त्रुटिपूर्ण है, पता नहीं किस इंजीनियर का बनाया हुआ प्राक्कलन है कि जिस 20,000 रुपये की प्राक्कलित राशि निर्धारित की है, हमें नहीं लगता कि वह मकान कैसे बनता है, क्या बनता है, बिहार में खास कर यह होता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि भवन के गिरने से लोग मरें और उसके बाद 10,000 रुपये दिए जाएं, इससे ज्यादा अच्छा है कि इसकी प्राक्कलित राशि ही कुछ बढ़ा दी जाए ताकि वह नौबत न आए कि अकाल मृत्यु के नाम पर 10,000 रुपये देने की जरूरत पड़े। इसलिए मंत्री जी, आप इसकी प्राकलित राशि की समीक्षा करवाइए और निश्चित तौर पर प्राक्कलित राशि बढ़वाइए। वहां पर पैसे की लूट होती है। सब माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसमें सांसदों की कोई भूमिका नहीं है। आपने एक बार लोक सभा में आश्वासन भी दिया था। पता नहीं विवशतावश आप अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर सके। उस समय आप उसे पूरा करने के लिए बहुत तत्पर थे। हमने व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे बात की थी। हम चाहेंगे कि केन्द्र की जो योजना जाती है, आप उसमें सांसदों की भूमिका सुनिश्चित कीजिए क्योंकि सांसद गांव से जुड़े हुए लोग होते हैं। आप भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भी कहीं न कहीं से सांसद हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में गड़बड़ियां कम हों लेकिन चूंकि आप केन्द्र में मंत्री हैं, आपके पास तरह-तरह की एजेंसियां हैं। जहां-जहां गड़बड़ी है, उसे ठीक करवाइए। हम एक सुझाव देंगे कि आप जो अलग-अलग छोटी-छोटी झोंपड़ियां बनवा रहे हैं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, उसी सरकारी जमीन में एक लम्बा कालोनी टाइप घर बसा दीजिए, क्योंकि आपको सरकारी जमीन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ी प्राक्कलित राशि बढ़ा दीजिए तो हमें लगता है कि अगर दोमंजिला घर भी बना देंगे तो वह उपयोग में आएगा और जिस नीयत से आप पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का उपयोग भी होगा।

हम निवेदन करेंगे कि आप प्राक्कलित राशि पर जरूर ध्यान दें और गड़बड़ियों पर ध्यान दें। सांसदों की भूमिका सुनिश्चित कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN :Yes, now, the hon. Minister.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: There are so many people who are raising their hands. But I am sorry about it. It is because under the rules I can call only four people who have given their names in advance. It is already 6 o'clock. Half an Hour is over now.

श्री खार्बेल स्वाइं (बालासोर) : जिनके पास जमीन नहीं है, उनको उड़ीसा में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घर नहीं दिया जाता। ...(व्यवधान) इसके बारे में मंत्री जी कुछ करें।

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU (TENALI): Madam, may I ask a question?

1800 hrs.

MR. CHAIRMAN : No speech is allowed now. You just ask the question straight.

PROF. UMMAREDDY VENKATESHWARLU : Madam, Indira Awas Yojna started fifteen years ago in 1985. In several areas, the houses built in the years 1985-86 and 1986-87 under this scheme are on the verge of collapse. When we visit such places, we are asked by the people to sanction some amount for repairing their houses. Some of these housing units are about to become uninhabitable. Even after ten years after construction, there must be some provision to sanction some amount for carrying out repairs to the housing units built under this scheme.

It has been stated in the Budget speech that a National Mission for Rural Housing, and a Rural Habitat Development Corporation will be constituted. I would like to know from the Minister as to when these institutions are going to be set up.

MR. CHAIRMAN : Please do not open a discussion now. What is your question?

SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Madam, the amount allotted by the Government of India under Indira Awas Yojna is inadequate. There are States which provide RCC roofing to this type of houses which cost enormous amounts. Is the Government of India contemplating to compensate the additional amount the State Governments are spending in this regard?

Under the Jawahar Rozgar Yojna there are two aims − creation of asset and creation of employment. There are cases where material for RCC roofing may not be available locally. In those cases one cannot make use of either locally available material or locally available men to employ in the construction of the housing units. Will there be any relaxation on this point?

The Members of Parliament are ignored in the process of selection of beneficiaries in almost all areas. Will the Minister consider appointing a Committee at the District Leel to see that the Members of Parliament are also involved in the selection process in their constituencies?

श्री रघुनाथ झा : हम मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस हाउस की एक सर्वदलीय कमेटी बनाकर बिहार में किसी एक जिले में आप जांच करा दीजिए। हम इसके लिए गोपालगंज जिले का ऑफर करते हैं, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां आप जांच करा लीजिए कि वहां कितने बड़े व्यापक ढंग से गोलमाल हुआ है। जिनको मकान मिलना चाहिए, उनको नहीं मिला है। जो धन वाले लोग हैं, उनका मकान बना है, इस बात की आप जांच करा लीजिए।

श्री सुरेश रामराव जाधव : मंत्री जी ने हाउस में कमिटमेंट किया था कि डी.आर.डी.ए. का चेयरमैन, इन्दिरा आवास योजना का चेयरमैन एम.पी. को बनाएंगे, इसका उत्तर भी माननीय मंत्री जी दे देंगे।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : उनको उत्तर देने का टाइम तो दीजिए, नहीं तो उत्तर कैसे आयेगा।

श्री सुरेश रामराव जाधव : यह उनका हाउस में कमिटमेंट है।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, उत्तर देने दीजिए, अगर नहीं दिया तो बाद में पूछ लीजिए। मिनिस्टर साहब, आप रिप्लाई दीजिए। आप उनको डिस्टर्ब मत करिये।

श्री सुरेश रामराव जाधव : इन्दिरा आवास योजना में अभी एम.पी. का कोई रोल ही नहीं है।

MR. CHAIRMAN : I have now called the Minister. Please sit down. Nothing will go on record now, except the Minister.

*(Interruptions)**

SHRI ANIL BASU (ARAMBAGH): Madam, it is already six o'clock. You have to take the sense of the House.

MR. CHAIRMAN: This is a half-an-hour discussion. I hope you all agree that the Minister has to be given some time to reply to the questions you have raised.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The Minister will reply now.

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री सुन्दर लाल पटवा) : आदरणीय सभापति महोदय, इन्दिरा आवास योजना के बारे में इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता प्र

ाकट की है,

उस्से मैं लग्भग सहमत हूं। जो व्िय हमारे सामने विचार के लिए है, उसकी व्स्तुस्थिति का भी थो्ड़ा हमें ध्यान रखना प्ड़ेगा। संविधान के अंतर्गत आव्ास राज्य का ि वा्य है। केन्द्र सरकार का रोल एक सहयोगी का और सहाय्क का है। जहां तक इंदिरा आव्ास के लिए राज्यों को राशि प्रदान किए जाने का प्रश्न है, उसका एक फार्मूला है। 1991 की जनगणना के अनुसार आव्ासी्य जन्संख्या जो प्रदेशों की है उसको और गरीबी रेखा को, दोनों को 50 प्रतिशत आबंटित करके केन्द्र द्वारा राज्यों को राशि आबंटित की जाती है। जिले्वार जो एलोके्शन है, वह भी केन्द्र द्वारा किया जाता है, इस आधार पर कि वहां अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी का अनुपात क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर जिले तक राशि का आबंटन केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को भेज दिया जाता है। वह राशि जिले तक पहुंचती है। यहां इस बात का भी ज़िक्र किया गया कि कई स्थानों पर राज्य सरकारों ने राशि को डाइवर्ट कर दिया, इधर-उधर कर दिया, सम्य पर उप्योग नहीं किया। डाइवर्ट करने पर भी अन्ततोगत्वा उनको राशि का उप्योग करना प्ड़ता है। परंतु मुख्य चिंता का प्रश्न माननी्य सद्स्यों का जो है, मैं इस बात के लिए आभारी हूं और धन्यवाद क्रूंगा शि्वराज

* Not Recorded

सिंह चौहान जी का कि उन्होंने इस प्रश्न को गम्भीरता से उठाया। मूलभूत चिंता और शिकाय्त या गड़ब्ड़ी जो है, वह हितग्राही के चयन की है। हितग्राहियों के चयन में अब ऐसा प्रावधान किया गया है कि ग्राम सभा उनका चयन करे। जहां सरपंच प्रबल है, ग्राम सभा की बैठक नाम के लिए बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, खानापूर्ति कर लेते हैं या घर मैं बैठ कर हो जाती है वगैरह-वगैरह। इन सारी बातों की शिकाय्त की गई। ग्राम सभा नॉनपोलिटिकल है। अगर ग्राम सभा सक्षम है, समर्थ है और जाग्रूक है तो फिर वहां गड़ब्ड़ी की गुंजाइश कम रहती है। परंतु ग्राम सभा एक नॉनपोलिटिकल है, जिसमें गांव के सारे मतदाता हैं, उनके जिम्मे है कि आप हितग्राहियों का चयन इन-इन आधारों पर करें। ग्राम सभा ही सक्रिय नहीं है तो कौन सी सभा के पास जाएं कि तुम करो।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जहां ग्राम सभा नहीं हो, वहां क्या करें ?

श्री सुन्दर लाल पट्वा : यह भी एक समस्या है कि कहीं ग्राम सभा नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है बिहार में पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। बिहार में कहीं सुप्रीम कोर्ट ने...

श्री प्रभुनाथ सिंह : कोई स्टे नहीं दिया है।

श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी (बारपेटा) : असम में भी नहीं हुए।

श्री सुन्दर लाल पट्वा : हां। हम आग्रह कर सकते हैं, परंतु इंदिरा आव्ास योजना में आपके पास चयन को कोई ग्राम सभा नहीं है इसलिए राशि रोक दें, यह सम्भव नहीं है, उचित भी नहीं है। आखिर राज्य सरकार जो भी है, वह भी जनता द्वारा चुनी गई है, कैसी भी हो, मैं उसके बारे में अधिक नहीं कहना चाहता।

हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक संघ गणराज्य है। ग्राम की पंचाय्त से लेकर संसद तक जो चुने हुए लोग हैं, उन पर कहीं न कहीं कुछ तो भरोसा करना प्ड़ेगा परंतु जहां तक हितग्राहियों के चयन का सवाल है, वह किसी चुनी हुई संस्था पर नहीं छोड़ा गया। चुनी हुई संस्था में मतदाताओं के पूर्वाग्रह इत्यादि की शिकाय्तें हो सकती हैं परंतु ग्राम सभा में कोई चुनाव नहीं हुआ। सभी मतदाता वोटर हैं, इसलिए इस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए उचित यह होगा कि हम ग्राम सभा को सक्षम बनाने के लिए लोगों को प्रशिक्षण, उनके अधिकारों के बारे में उनको जानकारी देने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें क्योंकि ग्राम सभा के लिए सब मतदाता मिलकर निपक्ष चयन करें। इस्से ज्यादा निपक्ष व्यवस्था मेरी समझ में नहीं हो सकती।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप डिस्ट्र्ब मत करिए।

श्री सुन्दर लाल पट्वा : पूरी बात सुन लें। मैं माननी्य सद्स्य से आग्रह क्रूंगा कि वे मेरे ऊपर आक्रोश न करें। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर मुझसे सवाल पूछिए।â€¦(व्यवधान) मुझे अपने आक्रोश का शिकार मत बनाइए। गड़ब्ड़ करने वाले जो लोग हैं, जैसे आपको उनके ऊपर आक्रोश है, वैसे ही मुझे भी है। माननी्य सद्स्य ने अपनी-अपनी व्यथा कही।â€¦(व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र) : प्रमोद महाजन जी से लोग मुस्कराते हुए सवाल पूछते हैं।â€¦(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल पट्वा : मैंने मुस्कराने के लिए कहा है, मुंह फाड़ने के लिए नहीं कहा। आप वह कर रहे हैं, जो मैंने नहीं कहा। समस्याएं तो सबने बताईं परंतु मैं आप सबका आभारी होऊंगा यदि इनका सुझाव भी बताएं कि हम यह करें। मोनीटरिंग की व्यवस्थाâ€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the hon. Minister complete his reply. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR CHAIRMAN: You have already asked your questions. Let him reply to them please.

...(*Interruptions*)

श्री सुन्दर लाल पट्वा : मैं इस सदन में अपनी इच्छा ज़ाहिर कर चुका हूं। परंतु मेरी इच्छा सर्वोपरि नहीं है। कुछ संविधान की, कुछ संघ गणराज्य की मर्यादाएं हैं। आखिर राज्यों के ऊपर हम अपनी मर्जी नहीं थोप सकते और जो पैसा केन्द्र राज्यों की सहाय्ता और सहयोग के लिए स्वीकार करता है, वह भी राज्यों को कोई मेहरबानी करके नहीं बल्कि यह उनका अधिकार है और इसलिए उनको दिया जाता है। संघ गणराज्य की जो बारीकि्यां हैं, इन्हें समझकर, इनका परिपालन करके हमें चलना होगा। इसमें एक संतुलन करना होगा और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कई बातों का यहां ज़िक्र किया गया, जैसे बालाघाट में पैसा डाइवर्ट हो गया, भ्रटाचार है, कच्चे मकान है इत्यादि।

जहां तक राज्यों की धनराशि में अभि्वृद्धि करने का सवाल है, उसमें मैं आप्से नि्वेदन करना चाहूंगा कि 1-8-1996 से इस राशि को 14000 रु. से बढ़ाकर 20000 किया गया। 15800 रु. दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में जो राशि थी, उसे बढ़ाकर 22,000 रु. किया गया है। उसमें एक सवाल यह किया गया कि कुछ राज्यों ने इस राशि में अपने यहां से बढ़ोतरी की है, क्या उसे री-इम्ब्र्स किया जाएगा? केन्द्र ने सहाय्ता और सहयोगी का रोल अदा किया है। मूल आव्ास की समस्या का समाधान करना राज्य सरकार की जिम्मे्वारी है। जहां तक राशि का सवाल है, हमारे पास जो सीमित बजट आबंटन है, उसमें राशि बढ़ा दी तो हितग्राहियों की संख्या में कमी

होगी।

पूरे मकान हम बना दें, इसके बजाए इस राशि को सहयोग की राशि के रूप में प्राप्त करके श्रम करें और अपना योगदान करें। राज्य सरकार योगदान करेगी, तो अच्छे मकान बनेंगे। कुछ राज्यों ने अच्छे मकान बनाए हैं। विशेाकर तमिलनाडु की मुझे जानकारी है। राज्य सरकार ने भी सहयोग किया और लोगों ने भी सचमुच परिश्रम करके अच्छे मकान बनाए हैं। इसी प्रकार गुजरात के बारे में भी मुझे जानकारी है। परन्तु राज्य सरकार को दिए हरेक पैसे की मोनिटरिंग करने लगें, तो कल बिहार के बारे में इसी सदन में आरोप लगेगा कि आप अन्याय कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं और दुर्भावना के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमको तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं। इस प्रकार की कहीं शिकवा-शिकायत है और उसकी जानकारी आती है, तो उसकी भी पूछताछ हम राज्य सरकारों से ही करते हैं। यहां से इन्सपैक्टर भेजने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम अपनी मोनिटरिंग की भी व्यवस्था करते हैं, परन्तु सारा देश और इंदिरा आवास योजना एक बड़ा कार्यक्रम हैâ€¦(व्यवधान)

श्री सुरेश रामराव जाधव : महोदय, दो ही प्रश्न है - एक, राशि बढ़ाना और दो, संसद सदस्यों के रोल के बारे में ।â€¦(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल पटवा : राशि बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। राशि बढ़ाई तो लाभार्थियों की संख्या कम होगी। आवास बनाने में सहयोग, सहायता और बर्तन लाकर हम रख दें, यह आवंटन का आधार नहीं हो सकता है। इसलिए ग्राहियों की पहचान सबसे बड़ी व्यवस्था हो सकती है, जो हमें करनी चाहिए। इसके लिए हमने गाइडलाइन्स भेजी हैं। माननीय सदस्य चाहें, इंदिरा आवास से लेकर ग्राहियों के चयन की गाइडलाइन्स, मैं माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा। â€¦(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : गाइडलाइन्स का पालन नहीं होता है, इस पर केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? जहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं, वहां केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? यह बताइए। आप मंत्री जी की बात सुनिए, हम जा रहे हैं। â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The hon. Members want to know as to what is their role in the programme.

श्री सुरेश रामराव जाधव : गोलमोल उत्तर है। â€¦(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने एक ही सवाल पूछा है। आपने यह कहा है कि संघ और राज्यों के रिश्ते को देखते हुए यह कैसे संभव है। â€¦(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल पटवा : महोदय, जहां तक संसद सदस्यों की भूमिका का सवाल है, संसद सदस्य पदेन जिला परिाद के सदस्य हैं। डीआरडीए के सदस्य हैं। शिकायत यह है कि जब बैठकें बुलाई जाती हैं, तो उसकी सूचना नहीं होती है। जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है, तब बैठकें बुलाई जाती हैं। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

सभापति महोदय : जिला परिाद की मीटिंग तब बुलाई जाती है, जब संसद सदस्य इधर होते हैं।

श्री सुन्दर लाल पटवा : इसके लिए हमने नए निर्देश भेजे हैं। माननीय सदस्य की सुविधा के अनुसार बैठक बुलाई जाए। इस प्रकार का निर्देश हमने भेजा है। गाइडलाइन्स और दिशा निर्देश हमने भेज दिए हैं। इन निर्देशों को दो मिनट में पढ़ना संभव नहीं है, परन्तु माननीय सदस्यों को मैं उपलब्ध करा दूंगा।

â€¦(व्यवधान) जहां तक उड़ीसा का सवाल है, उड़ीसा की सरकार ने जितने इंदिरा आवास की मांग की है, साइक्लोन के बाद, पूरे के पूरे आवंटित किए गए हैं। निर्देशों को शिथिल करके दो लाख आवंटित किए गए हैं। अब यह उड़ीसा की सरकार का काम है कि निश्चित समय में आवंटन को पूरा करे। â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Thank you very much.

MR. CHAIRMAN : No more discussions. We have already spent one hour for Half-An-Hour Discussion.

...(*Interruptions*)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं।â€¦(व्यवधान) मंत्री जी, आप वर्गों से मिले अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकते।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बाद में इनसे बैठ कर बात करिए।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No, this is not correct. All the questions have been answered.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, do not reply now.

...(*Interruptions*)

श्री सुन्दर लाल पटवा : माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से हैं।â€¦(व्यवधान) डीआरडीए भंग कर दिया गया है।â€¦(व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : डीआरडीए भंग कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने।â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please sit down. No more questions please.

...(*Interruptions*)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इतना डिसकशन हुआ, इससे कोई लाभ तो नहीं होगा।â€¦(व्यवधान) हम जहां खड़े थे, वहीं खड़े हैं।â€¦(व्यवधान)

्स्भापति महोद्य : आधे घंटे की चर्चा में, 20 मिनट ज़्यादा लग गए हैं।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You can ask all your questions directly to the Minister.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet tomorrow, the 17th August, 2000 at 11 a.m.

2022 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, August 17, 2000/Sravana 26, 1922 (Saka).